रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 23 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 02, 1945 शक संवत्) [संख्या 51

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	705–712	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1747–1756	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	213–224	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	709–740	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

29 अगस्त, 2023 ई0

सं0 3584/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	ग्राम-अलावलपुर परगना-हरगाँव तहसील-सदर	शिव मंदिर अलावलपुर	375	0.044	उत्तर—खाली भूमि गाटा संख्या 375 व आबादी दक्षिण—गाटा सं0 378क, 378ख, 378ग एवं अजय प्रकाश, विजय प्रकाश, सुशील कुमार सिंह आदि का चक एवं ठाकुर द्वारा पूर्व—चक मार्ग के बाद ओंकार, वेद प्रकाश, प्रदीप आदि का चक गाटा सं0 379 पश्चिम—गाटा संख्या 375 के अंश के बाद गाटा संख्या 376 एवं पक्की सड़क

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

आज्ञा से,
अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 3584/Four-2023 Dated August 29, 2023 for general information.

NOTIFICATION

August 29, 2023

No. 3584/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (1) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act no. VII of 1904.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Sitapur	Village-Alawalpur, Pargana-Hargaon Tehsil-Sadar	Shiv Mandir, Alawalpur	375	0.044	*North*-Open Land, Revenue Plot No. 375 and Population. *South*-Revenue Plot No. 378क, 378ख, 378ग and the Plot of Ajay Prakash, Vijay Prakash and Sushil Kumar Singh, including Thakur Dwara. *East*-Revenue Plot No. 379 of Omkar, Ved Prakash, Pradeep *etc*. after Chak Marg. *West*-Revenue Plot No. 376 and Pucca Road after part of Revenue Plot No. 375.

INTIMATION

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Sitapur within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,
Amarnath Upadhyay,
Special Secretary

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

29 अगस्त, 2023 ई0

सं0 3791/चार-2023—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	ग्राम-बसुहार परगना एवं तहसील-चायल	बेनीराम कटरा का शिव मन्दिर	2458	0.0148 (आंशिक भाग)	उत्तर—मंझनपुर से प्रयागराज मार्ग दक्षिण—गाटा संख्या 2472 एवं 2473 पूर्व—गाटा संख्या 2474 पश्चिम—गाटा संख्या 2459

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, कौशाम्बी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होगीं।

आज्ञा से,
अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 3791/Four-2023 Dated August 29, 2023 for general information.

NOTIFICATION

August 29, 2023

No. 3791/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (1) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act no. VII of 1904.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Kaushambi	Village-Basura, Tehsil-Chayal	Shiv Mandir of Beni Ram Katra	2458	0.0148 (Partial Part)	*North*-Road From Manjhanpur to Prayagraj. *South*-Revenue Plot No. 2472 and 2473. *East*-Revenue Plot No. 2474. *West*-Revenue Plot No. 2459.

INTIMATION

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Kaushambi within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,
Amarnath Upadhyay,
Special Secretary

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

29 अगस्त, 2023 ई0

सं0 3792/चार-2023–उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मानूमेन्टस प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं–

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	बांदा	ग्राम-औगासी बांगर तहसील-बबेरू	औगासी का टीला	496 (1.408 हेक्टेयर)	0.200	उत्तर–गाटा संख्या 22 (जगदीश प्रसाद) पूर्व–गाटा संख्या 496 का अंश दक्षिण–गाटा संख्या 496 का अंश पश्चिम–गाटा संख्या 494
2			ग्राम-करहुली तहसील-बबेरू	करहुली का शिव मन्दिर	190	0.340 (बंजर) 0.036 (शिव मंदिर)	उत्तर–गाटा संख्या 186 पूर्व–गाटा संख्या 187 एवं 188 दक्षिण–गाटा संख्या 191 एवं 192 पश्चिम–गाटा संख्या 186 एवं 191
					191	0.587 (तालाब)	उत्तर–गाटा संख्या 190 पूर्व–गाटा संख्या 190 दक्षिण–गाटा संख्या 192 पश्चिम–गाटा संख्या 190 एवं 192

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, बांदा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 3792/Four-2023 Dated August 29, 2023 for general information.

NOTIFICATION

August 29, 2023

No. 3792/Four-2023--In exercise of the powers under sub-section (1) of the section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no. VII of 1957), The Governor is pleased to propose to declare the ancient moments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said act no. VII of 1904.

SCHEDULE

Sl. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument Sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hectare	
1	Uttar Pradesh	Banda	Village-Augasi Bangar Tehsil-Baberu	Mound of Augasi	Revenue Plot No. 496 (Area 1.408 Hectare)	0.200	*North*- Revenue Plot No. 22. *East*-Part of Revenue Plot No. 496. *South*- Part of Revenue Plot No. 496. *West*-Revenue Plot No. 494.
2	Uttar Pradesh	Banda	Village-Karhuli Tehsil-Baberu	Shiv Mandir of Karhuli	190	0.340 (Banjar) 0.036 (Shiv Mandir)	*North*- Revenue Plot No. 186. *East*-Revenue Plot No. 187 and 188. *South*- Revenue Plot No. 191 and 192. *West*- Revenue Plot No. 186 and 191.
					191	0.587 (Talab)	*North*- Revenue Plot No. 190. *East*-Revenue Plot No. 190. *South*- Revenue Plot No. 192. *West*- Revenue Plot No. 190 and 192.

INTIMATION

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Banda within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By order,
Amarnath Upadhyay,
Special Secretary.

पी0एस0यू0पी0—39 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 02, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[AMENDMENT (ADMIN. 'G-I') SECTION]

NOTIFICATION

July 15, 2023

No. 704/VIIIc–In pursuant to the Judgment dated 15.12.2022 of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 9322 of 2022 titled Gohar Mohammed *v.* Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & Ors., it is hereby notified that in Motor Accident Claim Cases, if the claimant(s) or legal representative(s) of the deceased have filed separate claim petition(s) in the territorial jurisdiction of different High Courts, the first claim petition filed by the claimant(s)/legal representative(s) shall be maintained by the said Claims Tribunal and the subsequent claim petition(s) shall stand transferred to the Claims Tribunal where the first claim petition was filed and pending. The claimant(s) are not required to approach the Hon'ble Supreme Court of India seeking transfer of the other claim petition(s) filed in the territorial jurisdiction of different High Courts.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order of the Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

[ADMINISTRATIVE (A-3) SECTION]

August 04, 2023

No. 800/Main-B/Admin (A-3)–In exercise of the powers conferred under Section 5(2) of the U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983, the High Court is pleased to appoint the officers of the rank of Additional District & Sessions Judge (mentioned in column no. 4), as Special Judge to preside over the concerned Special Court constituted under Section 5 (1) of the said Act vide respective State Government's Notifications as mentioned in column no. 3, for disposal of the cases relating to Decoity Affected Areas Act, 1983, in the concerned districts mentioned in Column no. 2:

Sl. No.	Name of Districts where DAA Courts have been constituted	Government notification dated	Name of the officer & designation
1	2	3	4
			(*Sri/Mr./Ms./Smt.*)–
1	Agra	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Vinod Kumar Barnwal, Additional District & Sessions Judge
2	Banda	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Mohammed Qamruzzama Khan, Additional District & Sessions Judge
3	Budaun	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Dr. Mohammad Iliyas, Additional District & Sessions Judge
4	Etah	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Ram Baboo Yadav, Additional District & Sessions Judge (FTC)
5	Etawah	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Ajay Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge
6	Farrukhabad	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Vishnu Chandra Vaish, Additional District & Sessions Judge
7	Kanpur Dehat	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Chandra Shekhar-II, Additional District & Sessions Judge
8	Mainpuri	7098/VII-A.N.-221/81 dated 02.01.1985	Mita Singh, Special Judge (EC Act)
9	Kannauj	1447/VII-Nyaya-2-2010-221/81 dated 25.10.2010	Indra Jeet Singh-II, A.D.J. (FTC)

1	2	3	4
			(*Sri/Mr./Ms./Smt.*)–
10	Firozabad	89/VII-Nyaya-2-2010-221/81 Dated 14.01.2005 and no. 1755/VII-Nyaya-2-2010-221 Dated 24.12.2010	Navneet Kumar Giri, Additional District & Sessions Judge
11	Jalaun at Orai	2923/VII-Nyaya-2-2000-221/81 Dated 15.02.2000	Dr. Avanish Kumar-II, Additional District & Sessions Judge
12	Chitrakoot	90/VII-Nyaya-2-2010-221/81 Dated 14.01.2005 and 409/VII-Nyaya-2-2010-221/81 Dated 16.05.2010	Neeraj Shrivastav, Additional District & Sessions Judge

August 23, 2023

No. 813/Main-B/Admin (A-3)–In exercise of the powers conferred under Section 5 (2) of the U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983, the Hon'ble Court is pleased to appoint Sri Alok Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Etawah, as Special Judge to preside over the Special Court constituted under Section 5 (1) of the said Act vide State Government's Notification no. 2470/VII-Nyaya-2-2005-221/81 dated 29.09.2005 for disposal of the cases relating to Dacoity Affected Areas Act, 1983, in the district Etawah, in place of Sri Ajay Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Etawah appointed vide notification dated 01.08.2023.

By order of the Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती।

02 मई, 2022 ई0

सं0 354/UP51T-3036जीप/टैक्सी/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP51T-3036 प्रकार जीप/टैक्सी चेचिस संख्या MAT4451119VK43024 इंजन नम्बर 275IDI05KQZSB5500 मॉडल 2009 वाहन माह दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री तिलकराम वर्मा पुत्र श्री नोहारी चौधरी, ग्राम-कसैला बाबू, पो0-तुर्कीपुर थाना-दुबौलिया, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 15 अप्रैल, 2017 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-

पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 25 अप्रैल, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 15 अप्रैल, 2017 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-3036 प्रकार जीप/टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल, 2017 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

21 जून, 2022 ई0

सं0 897/UP42AT-2806 डिलेवरी वैन/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP42AT-2806 प्रकार डिलेवरी वैन चेचिस संख्या C8G36817 इंजन नम्बर MCC6G29972 मॉडल 2012 वाहन माह दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री कल्पचरन श्रीवास्तव पुत्र श्री हरि प्रसाद लाल, निवासी-थान्हा खास, पो0-हर्रैया जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 27 नवम्बर, 2020 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP42AT-2806 प्रकार डिलेवरी वैन का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 27 नवम्बर, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 898/UP51T-4264 आटोरिक्शा/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP51T-4264 प्रकार आटोरिक्शा चेचिस संख्या MD2ALBBZZTWG08276 इंजन नम्बर BBMBTG08753 मॉडल 2010 वाहन माह दिनांक 02 अप्रैल, 2014 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री हरिनरायन पाण्डेय पुत्र श्री सीताराम पाण्डेय, ग्राम लेदवा पो0-चौकवा, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 02 अप्रैल, 2014 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 02 अप्रैल, 2014 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-4264 प्रकार आटोरिक्शा का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 02 अप्रैल, 2014 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 900/UP42T-1099 ट्रक/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP42T-1099 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 373341MYZ004559 इंजन नम्बर 697TC45MYZ899863 मॉडल 2002 वाहन माह दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री हरिश सिंह पुत्र श्री रामशंकर, निवासी-परिवारपुर पो0-ओझागंज, थाना-कप्तानगंज जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 26 अप्रैल, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 19 दिसम्बर, 2014 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP42T-1099 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 901/UP51AT-9645 ट्रक/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP51AT-9645 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426031LUZ755314 इंजन नम्बर B591452050L62437068 मॉडल 2006 वाहन माह दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री ध्रुपराज चौधरी पुत्र श्री राम जनक चौधरी, ग्राम व पोस्ट-आमबारी, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 30 सितम्बर, 2020 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51AT-9645 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 30 सितम्बर, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 902/UP51T-5268 जीप/टैक्सी/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP51T-5268 प्रकार जीप/टैक्सी चेचिस संख्या MAT445122BVB14436 इंजन नम्बर 272IDI06BYYS30516 मॉडल 2011 वाहन माह दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामिनी श्रीमती उमा सिंह पत्नी श्री तेज बहादुर सिंह, निवासी-रेवआ बाबू, पोस्ट व थाना-हर्रैया जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2021 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 23 अक्टूबर, 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-5268 प्रकार जीप/टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता

हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 904/UP51T-9869 ट्रक/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP51T-9869 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426010GTZ002977 इंजन नम्बर 2DF62231320 मॉडल 2002 वाहन माह दिनांक 31 जनवरी, 2020 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री मो0 रजा पुत्र श्री बैतुल्लाह, ग्राम- खरगौला, पो0-बेवॉ, जनपद सिद्धार्थनगर ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 31 जनवरी, 2020 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 31 जनवरी, 2020 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-9869 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 31 जनवरी, 2020 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 905/UP51T-2638 मैजिक/पंजीयन निरस्त/22–वाहन UP51T-2638 प्रकार मैजिक चेचिस संख्या MAT4451119VH26013 इंजन नम्बर 275IDI05HQZS81597 मॉडल 2009 वाहन माह दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी श्री मनबोध गौतम पुत्र श्री पंचगुलाम, ग्राम सकरदहा, पो0-बरहपुर कुँवर, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 21 मार्च, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 30 सितम्बर, 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में

मैं, अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-2638 प्रकार मैजिक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 30 सितम्बर, 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 906/UP53T-1140 ट्रक/पंजीयन निरस्त/22—वाहन UP53T-1140 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 426010BXZ000731 इंजन नम्बर 20A62214994 मॉडल 2002 वाहन माह दिनांक 25 अगस्त, 2021 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामिनी श्रीमती हलीमुन्निशा पत्नी श्री मो0 यासीन, मोहल्ला-मिल्लतनगर, बेवलाडाड़ी, पो0-गॉधीनगर, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 25 अगस्त, 2021 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 25 अगस्त, 2021 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP53T-1140 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 25 अगस्त, 2021 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सं0 907/UP51T-6723 जीप/टैक्सी/पंजीयन निरस्त/21—वाहन UP51T-6723 प्रकार जीप/टैक्सी चेचिस संख्या C6C41636 इंजन नम्बर MCC6C17076 मॉडल 2012 वाहन माह दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को कबाड़ में कटकर अस्वित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री रोहित पुत्र श्री माधव मिश्रा निवासी-पुराना डाकखाना, पो0-गॉधीनगर, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 24 दिसम्बर, 2019 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6468 दिनांक 11 सितम्बर, 2018 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित

समिति की दिनांक 21 जून, 2022 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55 (5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं अरूण प्रकाश चौबे, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51T-6723 प्रकार जीप/टैक्सी का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ, परन्तु यदि ऐसा वाहन जिसके सम्बन्ध में कर या अतिरिक्त कर अपलेखित किया गया है. संचालन व अस्तित्व में पाया जाता है तो कर का बकाया (कर एवं अतिरिक्त कर शास्ति सहित) जैसी स्थिति हो तो उपनियन (1) के अधीन छूट या अपलेखन के समय से पंजीकृत वाहन स्वामी से वसूली योग्य होगा।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अरूण प्रकाश चौबे,
कर पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग, बस्ती।

24 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 1629/UP51D-3891/पंजीयन निरस्त/2022–वाहन सं0 UP51D-3891 प्रकार गुड्स कैरियर चेचिस संख्या 371341FXZ713569 व इंजन नम्बर 697TC26FXZ876833 मॉडल 2002 वाहन कबाड़ में कटकर आस्तित्व विहीन हो चुकी है। पंजीकृत वाहन स्वामी श्री सरिता तिवारी पत्नी श्री राजेश तिवारी, मूड़घाट चौराहा, बाईपास, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र जुलाई 2019 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन संचालन योग्य न रह जाने के कारण अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन चेचिस का टुकड़ा वाहन स्वामी द्वारा जुलाई 2019 को कार्यालय में जमा कर दिया गया था। उपरोक्त अवधि से अस्तित्वविहीन मानते हुए वाहन का कर दिनांक 31 जुलाई, 2019 तक जमा कराकर शेष अवधि का कर अदेय कर ''शासन द्वारा जारी एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत शास्ति में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए'' पंजीयन निरस्त की संस्तुति दी जाती है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर मैं, पंकज कुमार सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51D-3891 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है, या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से सम्पूर्ण कर एवं शास्ति सहित वाहन स्वामी जमा करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

29 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 1813/UP51AT-6751/पंजीयन निरस्त/22–वाहन सं0 UP51AT-6751 प्रकार टाटा सिगमा चेचिस संख्या MAT704131JAJ20471 व इंजन नम्बर 81J84816417 मॉडल 2018 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्तित्व विहीन हो चुकी है। पंजीकृत वाहन स्वामी श्रीमती बिरोजा यादव प्रो0 मेसर्स मॉ शारदा कन्सट्रक्शन कम्पनी, 1049 बिहारी सदन, महरीखॉवा, जनपद बस्ती ने अपने प्रार्थना-पत्र 25 अक्टूबर, 2022 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन

डिवाइडर से लड़कर क्षतिग्रस्त हो गयी, जो रिपेयर योग्य नही है, जिस कारण वाहन को कबाड़ी को विक्रय कर दिया गया। वर्तमान में वाहन अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन का टैक्स 30 अक्टूबर, 2022 तक जमा है। पत्रावली में उपलब्ध प्रत्यावेदन, शपथ-पत्र, बीमा कम्पनी द्वारा प्रदत्त लेटर हेड एवं चेचिस का टुकड़ा प्रस्तुत एवं संलग्न है। उपरोक्त साक्ष्यों से यह सिद्ध है कि वाहन अस्तित्वविहीन हो चुकी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, पंकज सिंह पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51AT-6751 प्रकार टाटा सिगमा का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। पंजीयन निरस्त के पश्चात यदि वाहन का संचालन भविष्य में पाया जाता है या संचालन की पुष्टि होती है तो पंजीयन निरस्त की तिथि से अद्यावधिक वाहन संचालन की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी पंजीकृत वाहन स्वामी की होगी।

(ह0) अस्पष्ट,
पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
बस्ती।

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 02, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2023 ई0
आषाढ़ 06, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/उन्नाव/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 164-मोहान (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 164-मोहान (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अच्छे लाल जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 164-मोहान (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अच्छे लाल को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री अच्छे लाल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने दिनांक 09 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 43/29-नि0व्यय0ले0-2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस दिनांक 06 फरवरी, 2023 को उक्त पते पर अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण एवं उनके परिवार द्वारा नोटिस न लेने के कारण अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 16 मई, 2023 के पत्र संख्या 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अच्छे लाल ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अच्छे लाल निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 164-मोहान (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अच्छे लाल निवासी ग्राम-भटपुरा, ब्लाक व तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th June, 2023* / *06th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Unnao/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 164-Mohan (SC) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 164-Mohan (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Unnao, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Achhey Lal, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 164-Mohan (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Unnao, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Achhey Lal for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14th November, 2022, Shri Achhey Lal was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted at the address given by the candidate on 06th February, 2023 due to non-availability of the Candidate at given address and denying the family members to receive notice. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Unnao, *vide* its letter no. 43/29-नि0व्यय0ले0-2022 dated 09th February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Unnao in his Supplementary Report, *vide* its letter 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 dated 16th May, 2023 has reported that Shri Achhey Lal has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Achhey Lal has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Achhey Lal resident of Village-Bhatpura Block and Tehsil-Hasanganj, District-Unnao, a contesting candidate from 164-Mohan (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2023 ई0 / आषाढ़ 06, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/उन्नाव/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 162-बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 162-बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 162-बांगरमऊ से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने दिनांक 19 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 629/29-नि0व्यय0ले0-2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 16 मई, 2023 के पत्र संख्या 123/29-नि0व्यय0ले0-2023 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 162-बांगरमऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अब्दुल रज़्ज़ाक मंसूरी निवासी 11/82, मक़बरा ग्वालटोली, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th June, 2023* / *06th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Unnao/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 162-Bangarmau Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 162-Bangarmau Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 10th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Unnao, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Abdul Razzaq Mansoori, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 162-Bangarmau Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Unnao, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Abdul Razzaq Mansoori for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14th November, 2022, Abdul Razzaq Mansoori was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 14th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Unnao, *vide* its letter no. 629 / 29-नि0व्यय0ले0-2022 dated 19th December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Unnao in his Supplementary Report, *vide* its letter 123 / 29-नि0व्यय0ले0-2023 dated 16th May, 2023 has reported that Abdul Razzaq Mansoori has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Abdul Razzaq Mansoori has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Abdul Razzaq Mansoori resident of 11/82, Maqbara Gwal Toli, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, a contesting candidate from 162-Bangarmau Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2023 ई0 / आषाढ़ 07, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/खीरी/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 144-मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 घोषणा अधिसूचना नं0-68/61-2022 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 144-मोहम्मदी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रवीकांत जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 144-मोहम्मदी से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रवीकांत को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री रवीकांत को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी द्वारा अपने दिनांक 30 मई, 2023 के पत्र संख्या 857/वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खीरी द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 727/वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रवीकांत ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रवीकांत निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 144-मोहम्मदी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवीकांत निवासी म0नं0 481, पश्चिमी दीक्षिताना, तहसील-गोला, जिला-खीरी को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *28th June, 2023* / *07th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Kheri/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 144-Mohammdi Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 144-Mohammdi Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Kheri, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Ravikant, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 144-Mohammdi Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Kheri, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 29th November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ravikant for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 29th November, 2022, Shri Ravikant was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 20th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Kheri, *vide* its letter no. 857 / वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट dated 30th May, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Kheri in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 727 / वि0स0सा0निर्वा-2022-संवीक्षा रिपोर्ट dated 21st March, 2023 has reported that Shri Ravikant has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ravikant has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ravikant resident of H.N. 481, Pashchimi Dixitana, Tehsil-Gola, District.-Kheri a contesting candidate from 144-Mohammdi Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 27 जून, 2023 ई0 / आषाढ़ 06, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/जौनपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 366-जौनपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 366-जौनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा-दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 09 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 366-जौनपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा-दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर द्वारा अपने दिनांक 20 मई, 2023 के पत्र संख्या 101/निर्वाचन-2023 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पिता श्री लाल जी द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, जौनपुर द्वारा दिनांक 20 मई, 2023 के पत्र संख्या 101/निर्वाचन-2023 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) निर्वाचन खर्चों का लेखा-दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 366-जौनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिनेश सिंह (रिंकू भईया) निवासी 75 जगदीशपुर अकबर, पो0 सदर, जौनपुर, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th June, 2023* / *06th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Jaunpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 366-Jaunpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 366-Jaunpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 9th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Jaunpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya), a contesting candidate of Uttar Pradesh from 366-Jaunpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Jaunpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by his father Shri Lal Ji on 03rd January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Jaunpur, *vide* its letter no. 101 / निर्वाचन-2023 dated 20th May, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Jaunpur in his Supplementary Report, *vide* its letter 311/29-1490 dated 10th April, 2023 has reported that Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Dinesh Singh (Rinku Bhaiya) resident of 76 Jagadeshpur Akbar, Post-Sadar, Jaunpur, a contesting candidate from 366-Jaunpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–707 निर्वाचन–23.12.2023–100 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 दिसम्बर, 2023 ई० (पौष 02, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-28 के अधीन

नोटिस

17 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 974/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा वाराणसी नगर की बढती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु ''काशीद्वार भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, वाराणसी'' अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं निम्न प्रकार हैं–

उत्तर–खसरा संख्या–1345, 1346, 1347 एवं 1348 ग्राम–बेलवा, परगना–कोल असला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। राष्ट्रीय राजमार्ग–31 (खसरा संख्या–1349 भाग, 1351 भाग, 1353 भाग, 1354 भाग, 1357 भाग, 1356 भाग एवं 1377 भाग ग्राम–बेलवा, परगना–कोल असला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1542 भाग, 1519 भाग, 1525 भाग, 1527 भाग, 1528 भाग एवं 1542 भाग ग्राम–पिण्डराई, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1395 भाग, 1406 भाग, 1396 भाग, 1428 भाग, 1437 भाग, 1436 भाग, 1435 भाग, 1432 भाग, 1431 भाग, 1430 भाग, 1443 भाग, 1449 भाग,

1450 भाग, 1467 भाग, 1468 भाग एवं 1469 भाग, KD-7 भाग ग्राम–बेलवा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–3816 भाग, 3815 भाग, 3829 भाग, 3827 भाग, 3828 भाग, 3836 भाग, 3838 भाग, 3839 भाग, 3841 भाग, 3845 भाग, 3843 भाग, 3846 भाग, 3847 भाग, 3849 भाग एवं 3851 भाग, ग्राम–पिण्डरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।) खसरा संख्या–3814, 3855, 3787 भाग, 3572, 3538 भाग, 3489, 3413, 3484, 3487, 3493 भाग, 3500, 3501, 3477, 3517, KD-8, 3532 भाग, 3161, 3156, 3155, 3620, 3755 भाग, 3036 भाग एवं 3675 भाग ग्राम–पिण्डरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।) खसरा संख्या–816 भाग, 787, 786, 781, 769 भाग, 685, 747, 749 भाग एवं 748 भाग, ग्राम–समोगरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–149 ग्राम–कैथोली, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

पूरब–खसरा संख्या–401, 400, 392, 393, 418 भाग, 420, 361, 360, 359, 354, 357, 358, 356, 355, 352, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 388, 348, 347, 342, 346, 345, 473, 474, 475, 489, 490, 496, 495, 509, 549 एवं 548 ग्राम–कैथोली, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–927, 130, 128, 104, 107, 108, 109, 110, 127 एवं 218 ग्राम–पुरारघुनाथपुर, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

दक्षिण–खसरा संख्या–224, 225, 226, 227, 227/1801, 75 भाग, 37, 35, 34, 33, 32, 31 एंव 29 भाग ग्राम–पुरारघुनाथपुर, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–524, 510, 514 भाग, 515 भाग, 479 भाग, 67, 69 भाग, 143 एंव 129 भाग ग्राम–बसनी, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–133, 131, 130, 128, 127 एवं 125 ग्राम–जद्दूपुर, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–505, 502, 501, 520, 521, 138 भाग, 204, 203, 202, 199, 198, 197, 226, 184, 181, 180, 179, 178 भाग, 297, 303, 302 भाग, 306 एवं 307 ग्राम–बहुतरा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी। खसरा संख्या–1678 भाग ग्राम–बेलवा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

पश्चिम–खसरा संख्या–1679, 1683, 1596, 1263 भाग, 1501, 1513 भाग, 1499, 1385 एवं 1338 ग्राम–बेलवा, परगना–कोलअसला, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अुनभाग) उ0प्र आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉधी मार्ग,

लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

[LAND ACQUISITION SECTION]

NOTICE

(Notice under section 28 of the LLP. Avas EvamVikas Parishad,

Adhiniyam, 1965 U.P.Ad. No. 1, 1966)

November 17, 2023

No. 974/L.A.C./H.Q.--The U.P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "Kashidwar Land Development, Housing and Market Planning, Varanasi" to solve the housing problem of the Varanasi City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

North-Khasra no. 1345, 1346, 1347 and 1348 Village-Belwan, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. National Highway-31 (Khasra no. 1349 Part, 1351 Part, 1353 Part, 1354 Part, 1357 Part, 1356 Part and 1377 Part Village-Belwan, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 1542 Part, 1519 Part, 1525 Part, 1527 Part, 1528 Part and 1542 Part Village-Pindrai, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 1395 Part, 1406 Part, 1396 Part, 1428 Part, 1437 Part, 1436 Part, 1435 Part, 1432 Part, 1431 Part, 1430 Part, 1443 Part, 1449 Part, 1450 Part, 1467 Part, 1468 Part, 1469 Part and KD7 Part Village-Belwan, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 3816 Part, 3815 Part, 3829 Part, 3827 Part, 3828 Part, 3836 Part, 3838 Part, 3839 Part, 3841 Part, 3845 Part, 3843 Part, 3846 Part, 3847 Part, 3849 Part and 3851 Part Village-Pindra, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi), Khasra no. 3814, 3855, 3787 Part, 3572, 3538 Part, 3489, 3413, 3484, 3487, 3493 Part, 3500, 3501, 3477, 3517, KD8, 3532 Part, 3161, 3156, 3155, 3620, 3755 Part, 3036 Part and 3675 Part Village-Pindra, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 816 Part, 787, 786, 781, 769 Part, 685,

747, 749 Part and 748 Part Village-Samogra, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 149 Village-Kaitholi, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

East-Khasra no. 401, 400, 392, 393, 418 Part, 420, 361, 360, 359, 354, 357, 358, 356, 355, 352, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 388, 348, 347, 342, 346, 345, 473, 474, 475, 489, 490, 496, 495, 509, 549 and 548 Village-Kaitholi, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no.927, 130, 128, 104, 107, 108, 109, 110, 127 and 218 Village-Puraraghunathpur, Pargana- Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

South-Khasra no. 224, 225, 226, 227, 227/1801, 75 Part, 37, 35, 34, 33, 32, 31 and 29 Part Village-Puraraghunathpur, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra No. 524, 510, 514 Part, 515 Part, 479 Part, 67, 69 Part, 143 and 129 Part Village-Basni, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 133, 131, 130, 128, 127 and 125 Village-Jaddupur, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 505, 502, 501, 520, 521, 138 Part, 204, 203, 202, 199, 198, 197, 226, 184, 181, 180, 179, 178 Part, 297, 303, 302 Part, 306 and 307 Village-Bahutra, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi. Khasra no. 1678 Part Village-Belwan, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

West-Khasra no.1679, 1683, 1596, 1263 Part, 1501, 1513 Part, 1499, 1385 and 1338 Village-Belwan, Pargana-Kolsala, Tehsil-Pindra, District-Varanasi.

The details of land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-02, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Office cum Shopping Complex, Second Floor, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land owners will be liable to pay Betterment fee/ Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-02, U. P. Avas Evam Vikas Parishad, Office cum Shopping Complex, Second Floor, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objection shall be considered. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the Land/ Building/ Village Name/ Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

(भूमि अर्जन अनुभाग)

अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-1, 1966)

की धारा-28 के अधीन

नोटिस

07 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 1068/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा वाराणसी नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु ''जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान पूरक योजना, वाराणसी'' प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत समाहित ग्राम की सीमाएं निम्न प्रकार हैं–

उत्तर –खसरा संख्या-389 ग्राम-मीरापुर, परगना-देहात अमानत तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत), खसरा संख्या-63, 62, 64 ग्राम-रामपुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)।

पूरब – खसरा संख्या-65, 66, 67 ग्राम-रामपुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)। खसरा संख्या-30 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी।

खसरा संख्या-19, 27, 26, 28, 89, 69, 70 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)।

दक्षिण– जी0टी0 रोड बाई पास (खसरा संख्या-93 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी)।

पश्चिम– खसरा संख्या-55, 47, 38, 07, 10, 09 ग्राम-निबिया, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला-वाराणसी।

खसरा संख्या-453, 450, 446, 445, 444 ग्राम-मीरापुर, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर, जिला- वाराणसी (पूर्व में प्रस्तावित जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत)।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अुनभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD

[LAND ACQUISITION SECTION]

NOTICE

Notice under section 28 of the U.P. Avas EvamVikas Parishad,
Adhiniyam, 1965 (U.P.Ad. No. 1, 1966)

December 07, 2023

No. 1068/L.A.C./H.Q.–The U.P. Avas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan purak Yojana, Varanasi", to solve the housing problem of the Varanasi City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:-

North– Khasra Number-389 Village-Meerapur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi. (Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

Khasra Number- 63, 62, 64 Village-Rampur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

East– Khasra Number-65, 66, 67 Village-Rampur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

Khasra No. -30 Village-Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

Khasra No.-19, 27, 26, 28, 89, 69, 70 Village- Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

South– GT Road By Pass (Khasra No. 93 Village- Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.)

West– Khasra No.- 55, 47, 38, 07, 10, 09 Village-Nibia, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.

Khasra No.-453, 450, 446, 445, 444Village-Meerapur, Pargana-Dehat Amanat, Tehsil-Sadar, District-Varanasi.(Under the area notified for the earlier proposed GT Road Bypass Bhumi Vikas Evam Grihsthan Yojana).

The details of the Land, falling under the scheme and maps can be seen in the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owner will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam-1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of the Executive Engineer, Construction Division- Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no objections shall be considered. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the land/building/Villages Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

कार्यालय नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर मुरादाबाद

04 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 315/न0प0भो0धर्म0/2023-2024—नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर जनपद मुरादाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 व धारा 299 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर, जनपद मुरादाबाद की सीमान्तर्गत विज्ञापन/प्रचार किये जाने एवं नियंन्त्रित करने के उद्देश्य से उपविधि, 2023 तैयार कर प्रतिस्थापित की गयी है। जिसको अध्यक्ष नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर ने अपने आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से सुझाव/आपत्ति/संशोधन कराये जाने हेतु निम्न दैनिक समाचार-पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज दिनांक 27 अगस्त, 2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त नियमावाली "विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित उपविधि, 2023'' के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति न आने के उपरान्त निम्नवत् उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने से सम्बन्धित उपविधियाँ

नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के अर्न्तगत् निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 व धारा 299 के अधीन ''नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' के सम्बन्ध में निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के द्वारा लागू किया जाता है, जोकि दिनांक 01 जनवरी, 2020 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1—(1) यह उपविधियाँ नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर मुरादाबाद की ''नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' की उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर क्षेत्र में प्रवृत होंगी,

(3) यह उपविधि 01 जनवरी, 2020 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी।

2—परिभाषायें—विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से है,

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर के अधिशासी अधिकारी से है,

(3) ''चेयरपर्सन'' से तात्पर्य नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर के चैयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4) ''अनुज्ञा'' का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त ''अनुज्ञा'' से है।

(5) ''वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(6) ''अनुज्ञा (लाइसेन्स) अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है,

(7) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अर्न्तगत निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया हो,

(8) ''विज्ञापन/प्रचार'' से तात्पर्य नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर की सीमा में किसी भी माध्यम से किये जा रहे विज्ञापन/प्रचार से है जिसमें होर्डिग, बैनर, कटआउट, लोकल टी, वी. के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यन्त्र से, पम्पलेट/पर्चे चाहें व दीवारों पर चिपकाये जायें अथवा किसी समाचार-पत्र में रखकर बंटवाये जाये, दीवार पेन्टिंग आदि से है परन्तु इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यस्थल पर अपने कार्यस्थल की सीमा में बोर्ड होर्डिंग दीवार पेन्टिंग लगा अपने प्रतिष्ठान का नाम आदि लिखना शामिल नही है परन्तु अपने कार्यस्थल की सीमा से बाहर यदि कोई बोर्ड/होर्डिंग आदि लगाया जायेगा तब वह इस परिभाषा में आयेगा,

(9) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–नगर पंचायत के द्वारा अपने क्षेत्र में विज्ञापन/प्रचार करने वाले व्यक्ति से विज्ञापन/प्रचार का शुल्क प्राप्त करेगी जो कि निम्न प्रकार लिया जायेगा–

(1) होर्डिग/कटआउट से विज्ञापन/प्रचार करने में	5/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(2) बैनर से विज्ञापन/प्रचार करने में	2/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(3) ग्लोसाईन बोर्ड से विज्ञापन/प्रचार करने में	10/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(4) दीवार पेन्टिग से विज्ञापन/प्रचार करने मे	2/–रू. प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(5) 2 वर्ग फुट या बड़े पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	500/–रू. प्रति सौ पोस्टर
(6) 2 फुट से कम पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	200/–रू. प्रति सौ पोस्टर
(7) समाचार-पत्र में पर्चे निकलवाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	100/–रू. प्रति हजार
(8) लोकल टी.वी. पर स्लाईड लगाकर विज्ञापन/प्रचार करने मे	500/–रू. (प्रतिमाह)
(9) ध्वनि विस्तारक यन्त्र से विज्ञापन/प्रचार करने में	100/–रू. प्रतिदिन

उपरोक्त दर नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगर पंचायत की बोर्ड के द्वारा या प्राप्त शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी/चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–(1) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य माध्यम से प्रचार/विज्ञापन किया जाता है तब उसका शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को होगा।

(2) उपरोक्त शुल्क केवल विज्ञापन/प्रचार का शुल्क है इसमें विज्ञापन/प्रचार सामग्री को निर्मित करने का कोई शुल्क नही है उक्त निर्माण का व्यय स्वयं पक्षकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

4–नगर पंचायत के द्वारा विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारीयों को नियुक्त किया जा सकता है।

5–ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्हीं कारणवश ठेका 01 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का कोई अधिकार ना होगा।

6–ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नही होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

7–ठेकेदार ठेके की राशि के 1/4 भाग को ठेका लेते समय ही नगर पंचायत में जमा करेगा तथा शेष 3/4 धनराशि तीन किश्तों में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी तक प्रत्येक स्थिति में जमा करेगा नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा।

8–ठेके की अन्य शर्ते नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9–ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) उपरोक्त विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वसूल नही करेगा।

10–ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तिय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

11–ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी वसूली के लिये एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षो के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

12–ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी निजी सम्पत्ति पर सम्पत्ति के स्वामी की सहमति के बिना विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे।

13–ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पर विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे जिससे मार्ग अवरूद्ध हो रहा हो अथवा आम जनता को कोई असुविधा हो रही हो अथवा स्थल का सौन्दर्य खराब हो रहा हो।

14–ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसी सम्पत्ति पर भी विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिग/कटआउट ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे जिसपर आम जनता के द्वारा आपत्ति की जा रही हो।

15–ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसे किसी भी प्रचार/विज्ञापन की अनुमति नही देंगे जो कि भ्रामक, भड़कावे वाला अथवा अन्य किसी प्रकार से अनैतिक, अश्लील अथवा कानून के विरूद्ध हो।

16—ध्वनि प्रसारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन अनुमति केवल दिन के 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक ही दी जायेगी। परन्तु परीक्षा के दिनों मे अथवा ऐसे दिनों में जिसमें इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन की अनुमति देना उचित ना हो न दी जायेगी।

17—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये किये गये विज्ञापन/प्रचार एवं ऐसे विज्ञापन/प्रचार जो किसी गुमशुदा की तलाश अथवा किसी सामाजिक उत्थान व समाज सेवा आदि के लिये बिना किसी लाभ के लिये किये जा रहे हो के लिये कोई शुल्क देय नही होगा।

18—नगर पंचायत के द्वारा छोडे गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जोकि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

19—यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपवंधों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्ंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बांधा डालता है तो उसके विरूद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जोकि नगर पालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1,000 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जोकि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनो के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

20—यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संसोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

21—उपरोक्त उपविधियों मे वर्णित नियमों के विपरित कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुऐ भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरित उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

फरखन्दा जबी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर,
जनपद मुरादाबाद।

04 दिसम्बर, 2023 ई0

भवन निर्माण उपविधि, 2023

सं0 316/न0पं0भो0धर्म0/2023-2024—नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर, जनपद मुरादाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची—1(क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर, जनपद मुरादाबाद की सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुननिर्माण या परिवर्तन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधि 2023 तैयार कर प्रतिस्थापित की गयी है। जिसको अध्यक्ष नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर ने अपने आदेश दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से सुझाव/आपत्ति/संशोधन कराये जाने हेतु निम्न दैनिक समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान, शाह टाईम, प्रावदा दिनांक 27 अगस्त, 2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त नियमावाली "भवन निर्माण उपविधि-2023" के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति न आने के उपरान्त निम्नवत् उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर मुरादाबाद में भवन निर्माण के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधियॉ

नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर, जनपद मुरादाबाद के द्वारा अपनी सीमान्तर्गत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण और उनके स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0 प्रा0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 298(1) की सूची 1 के शीर्षक "ए"/"क" (भवन) सपठित धारा 294 के अधीन निर्मित भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के द्वारा धारा 298 '2' नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अर्न्तगत् लागू किया जाता है, जोकि प्रकाशन की दिनांक से अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी से प्रभावी होगी।

उपविधियॉ

1–(1) यह उपविधि नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर, जनपद मुरादाबाद में "भवन निर्माण के कार्य को विनियमित तथा नियंत्रित करने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि 01 अप्रैल 2023 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी।

2–परिभाषायें–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(1) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तवज, झादक (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढ़ाचे से है, चाहें वह पक्की ईंट लकड़ी मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया गया हो, और उसके अर्न्तगत् कोई बरामदा चबूतरा मकान की कुर्सी, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो की चारदीवारी से भिन्न किसी अहाते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अर्न्तगत् कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है ।

(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) ''उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।

(4) ''नक्शा नवीस/मानचित्रकार''का अभिप्राय नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर के अनुज्ञा/लाईसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शानवीस से है।

(5) ''व्यवसायिक निर्माण'' से तात्पर्य उस निर्माण से है, जो कि व्यापार, उद्योग आदि के कार्य के लिए निर्मित किया गया हो, जिनमें दुकानें, व्यापारिक गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि हैं।

(6) औद्योगिक निर्माण, से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि किसी वस्तु, उपकरण आदि के निर्माण एवं एसेम्बिल के लिए किया गया हो परन्तु इसमें हलवाई, रेस्टोरेन्ट आदि शामिल नही है।

(7) ''जन उपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण जो कि जन कल्याण हेतु किये जायें से है, जिसमें धार्मिक स्थल, धर्मशाला, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

(8) ''शासकीय सम्पत्ति'' से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगरपंचायत भोजपुर धर्मपुर की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन से है। परन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों की सम्पत्ति शामिल नही है।

(9) ''निवास गृह'' से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिये निर्मित हो से है।

(10) ''अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(11) ''विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।''

(12) ''नगर पंचायत का अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर के चेयरपर्सन एवं अधिशासी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी से है।''

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिये गये हैं।

3–विभिन्न भवनों के निर्माण के लिये नक्शा/मानचित्र स्वीकृत करने के लिये शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

(1) आवासीय भवन दशा में–आवसीय भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतू प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

क्र० स०	कृत्य	धनराशि प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
(क)	50 वर्गमीटर तक	2,000/–
(ख)	50 से अधिक और 100 वर्गमीटर तक	4,000/–
(ग)	100 से अधिक और 150 वर्गमीटर तक	6,000/–
(ड)	150 से अधिक और 200 वर्गमीटर तक	8,000/–
(च)	200 से अधिक और 300 वर्गमीटर तक	10,000/–
(छ)	300 वर्गमीटर तक से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50 वर्गमीटर या उसके भाग के लिये	1,000/–

(2) व्यवसायिक भवन की दशा में–व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हॉल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन) के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

	रु0
(क) 20 वर्गमीटर तक	4,000/–
(ख) 20 वर्गमीटर से अधिक और 50 वर्गमीटर तक	7,000/–
(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्गमीटर या उसके भाग तक	1,500/–

स्पष्टीकरण –संयुक्त आवासीय तथा व्यवसायिक भवन को व्यवसायिक भवन माना जायेगा।

(3) औद्योगिक भवन की दशा में– आद्योगिक भवन के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

	रु0
(क) 150 वर्गमीटर के लिये	8,000/–
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर या उसके भाग के लिए	2,000/–

(4) निजी शैक्षिक, तथा उपयोग के भवन की दशा में–निजी शैक्षिक, उपयोग के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मन्जिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर शुल्क निम्न प्रकार देय होगा –

	रु0
(क) 100 वर्गमीटर के लिये	2,000/–
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए	500/–

(5) केवल किसी चाहरदीवारी की दशा में–

प्रत्येक प्रकार की किसी भी चाहरदीवार (Boundary Wall) के मानचित्र की

स्वीकृति हेतु शुल्क निम्न प्रकार देय होगा–

	रु0
(क) प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए	1,000/–
(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग के लिये	200/–

4–परन्तु अग्रेतर यह है, कि किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति निम्नवर्णित शतों के साथ दी जायेगी –

(1) भू-तल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिला भवन भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किया जायेगा। (शासनादेश संख्या–1410/9–2–2001–7(12)/01 न0वि0अनु0–2, दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अनुसार),

(2) प्रत्येक प्रकार के भवन में एक या अधिक (आवश्यकतानुसार) शौचालय होना आवश्यक है।

(3) 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये जल संचयिन (Water Harvesting) प्रणाली का होना अनिवार्य होगा,

(4) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्ध या नियन्त्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, उनमें उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित करायेगा,

(5) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन (Fire Brigade) विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो उनके निर्माण की स्वीकृति से पूर्व अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा,

(6) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर अर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है, तो वह मान्य होगी,

(7) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी ।

5–प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति के लिये प्रक्रिया–

(1) भवन के निर्माण, पुर्ननिर्माण या परिवर्धन/परिवर्तन आदि सम्बन्धित समस्त प्लान (मानचित्र) (तीन प्रतियों में) प्रार्थना-पत्र सहित अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत को प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके साथ स्वामित्व के कागजात एवं समस्त विशिष्टीयों का शपथ-पत्र (नोटेरी प्रमाणित) भी दिया जायेगा ।

(2) मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित सभासद व निर्माण लिपिक एवं सम्बन्धित लेखपाल (यदि आवश्यक हो) की आख्या प्राप्त की जायेगी, तत्पश्चात् मानचित्र को अधिशासी अधिकारी अथवा अध्यक्ष के द्वारा नगरपंचायत स्वास्थ्य अधिकारी और नगर पंचायत के अवर अभियन्ता के पास उनके विभाग से सम्बन्धित विषयों पर जांच कर मत देने हेतु भेजा जायेंगा

(3) यदि किसी मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व के अभिलेख में कोई संशय अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को प्रतीत होता है तब उसके लिये नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय भी प्राप्त की जा सकेगी जिसका व्यय मानचित्र स्वीकृत कराने वाले व्यक्ति को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।

(4) नगर पंचायत के द्वारा प्लान (मानचित्र) की स्वीकृति केवल तभी प्रदान की जायेगी–

(क) जब नगर पंचायत के अवर अभियन्ता द्वारा जाचोंपरान्त मत सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया गया हो,

(ख) भूमि के स्वत्व (Title of Land) की पुष्टि हो गई हो,

(ग) यदि मामले में नगर पंचायत अधिवक्ता अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई हो और राय प्रतिकूल ना हो,

(घ) नगर पंचायत को इस बात से समाधान हो गया हो कि प्रार्थी/स्वामी ने विहित विशिष्टियों के अनुसार भवन निर्माण किये जाने के लिये पर्याप्त गारण्टी दे दी है।

(4) मानचित्र स्वीकृत किये जाने का आदेश अधिशासी अधिकारी की संस्तुती से नगर पंचायत चेयरर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा इन शर्तों के साथ पारित किया जायेगा कि यदि भवन स्वामी के द्वारा प्रचलित किसी भी नियम/उपनियम का उल्लघंन किया जाता है अथवा सम्बन्धित भूमि में सरकारी/नगर पंचायत की भूमि शामिल होती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। मानचित्र पर मानचित्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी के रूप में अधिशासी अधिकारी एवं चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)के हस्ताक्षर होगें जिसकी एक प्रति नगर पंचायत कार्यालय में मूल आदेश के साथ सुरक्षित रखी जायेगी तथा मानचित्र की दो प्रतियॉ एंव मानचित्र स्वीकृत करने का पत्र जो कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षरों से जारी किया जायेगा भवन स्वामी को दिया जायेगा ।

6–नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कॉलोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नहीं होगा तथा प्रत्येक कॉलोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का रु0 50/– प्रतिवर्गमीटर की दर से शुल्क बाहय विकास शुल्क के रूप में देय होगा तथा उक्त कॉलोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी –

(1) कॉलोनी की सड़कें कम से कम 7.5 मीटर चौड़ी होंगी तथा उक्त सड़क की लम्बाई 100 मीटर से अधिक नहीं होगी, यदि 100 मीटर से अधिक कॉलोनी की सड़क की लम्बाई होती है तब सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर चौड़ी होगी, तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 12 मीटर होगी तथा यथासम्भव सड़कें समकोण पर मिलाई जायेगी.

(2) कॉलोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी,

(3) कॉलोनी की सड़के पक्की करने की जिम्मेदारी भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को होगी,

(4) कॉलोनी में पेड़ों आदि की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को करनी होगी,

(5) कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा, यथासम्भव सड़के समकोण पर मिलाई जायेंगी,

(6) कॉलोनी में जलापूर्ति के लिये पाईप लाईन व बिजली की व्यवस्था भी कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही करनी होगी ।

(7) कॉलोनी स्वीकृत करवाने वाले व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ही को कॉलोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा तथा उसके पश्चात् उक्त कॉलोनी नगर पंचायत प्रबन्धन में हो जायेगी तथा उसके पश्चात् कॉलोनी से गृहकर/जलकर प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, तथा उसके पश्चात् कॉलेानी में सुविधाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी।

(8) अगर व्यक्ति/फर्म/कम्पनी अपने द्वारा निर्मित कॉलोनी के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं करना चाहती है अथवा आर0डब्लू0ए0 बनाकर करना चाहती है तब उसके लिये उसे नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा और नगर पंचायत की कोई जिम्मेदारी कॉलोनी के अन्दर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने अथवा निर्माण कराने की नही होगी। परन्तु नगर पंचायत इस उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर को लगाने की अधिकारी होगी जिसकी दर इस सम्बन्ध में निर्मित उपविधि के अनुसार लगाये जाने वाले गृहकर/जलकर का आधा होगी।

(9) जहॉ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नहीं हैं, वहॉ पर नेशनल बिल्डिंग कोड (एन.बी.सी.) के प्रावधान लागू होगें ।

(10) कॉलोनी में आवासीय/व्यवसायिक भू-खण्ड को क्रय करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत से नियमानुसार स्वीकृत करवाना होगा जिसके सम्बन्ध में भवन मानचित्र से सम्बन्धित नियम/शर्तें लागू होंगी।

7–मानचित्र स्वीकृति की अवधि –

(1) मानचित्र उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार केवल एक वर्ष के लिये वैध होगा, तथा उस समयावधि के अर्न्तगत भू-स्वामी को भवन का निर्माण प्रारम्भ करना होगा,

(2) यदि भवन स्वामी उपनियम 5(1) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व भवन का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो अवधि समाप्त की दिनांक से तीन माह तक रु0 100/– प्रतिमाह का शुल्क अदा करके मानचित्र को वैध करवाना होगा तथा उसके पश्चात् प्रत्येक माह के लिये रु0 50/– शुल्क अदा करे मानचित्र को वैध करवाया जा सकता है, जो कि अधिकतम 3 वर्षों तक के लिये किया जा सकता है इसके पश्चात् पुनः नये मानचित्र की प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पूर्व में अदा शुल्क की कोई राशि नये मानचित्र में समायोजित नहीं की जा सकेगी, और ना ही वह राशि वापिस ही की जायेगी,

(3) निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि भवन स्वामी के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर मानचित्र को पुनः वैध करवाये बिना निर्माण किया जाता है, तब वह निर्माण अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उसके सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपनाई जाती है ।

(4) भवन स्वामी के द्वारा किये गये उक्त अपराध को समझौता शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार शमन किया जा सकता है ।

(5) कोई भी भवन निर्माण व्यवसायिक/आवासीय भवन की दशा में मानचित्र के अनुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 3 वर्षो में पूर्ण कराना आवश्यक होगा।

(6) कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने की दशा में कॉलोनी में मानचित्र के अनुसार निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराने के अधिकतम 5 वर्षो में किया जाना आवश्यक होगा।

8–नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र का संशोधन –

(1) नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत किसी मानचित्र के संशोधन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तावित संशोधित मानचित्र के साथ मानचित्र स्वीकृति के लिये दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत में प्रस्तुत किया जा सकता है,

(2) मानचित्र के संशोधन के लिये स्वीकृति दिये जाने से पूर्व केवल इस बाबत जॉच की जानी होगी कि वह संशोधन किसी उपविधि अथवा नियम के विरूद्ध तो नहीं करवाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पुनः किसी अन्य ऐसी जॉच अथवा आख्या की कोई आवश्यकता मानचित्र के संशोधन के लिये नहीं होगी जो कि पूर्व में ही मूल मानचित्र के लिये प्राप्त की जा चुकी हो,

(3) मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा ।

9–मानचित्र स्वीकृति के लिये विभिन्न नियम–

(1) उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 212–क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी तक नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी,

(2) उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है, अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है, तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा,

(3) नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत के द्वारा लाईसेन्स प्राप्त नक्शानवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा,

(4) आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निर्माण में कुल 20 प्रतिशत क्षेत्रफल आगे व पीछे की तरफ खाली छोड़ना अनिवार्य होगा,

(5) व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी,

(6) मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत अथवा अन्य किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार में पाया जाता है, तब मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, और उस मानचित्र के आधार पर कोई अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे।

10–मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना निर्माण करने की दशा में प्रक्रिया–

(1) अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा,

(2) परन्तु यदि ऐसा निर्माण अगर नियमों के अनुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाईसेन्सधारी मानचित्रकार/नक्शानवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को आवासी भवन के लिये समझौता शुल्क रु0 3,000 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क रु0 5,000/– होगा, लेकिन किसी धार्मिक स्थल, धर्मशाला आदि निर्माणों के लिये समझौता शुल्क नगर पंचायत की टैक्स कमेटी अपने विवेक के अनुसार निर्धारित करेगी ।

(3) यदि ऐसा कोई निर्माण उपनियमों के अनुसार निर्मित नहीं है, तब ऐसे निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, और ना ही ऐसे किसी मामले में समझौता ही किया जा सकेगा, तथा ऐसे निर्माण को नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी अथवा नगर पंचायत के द्वारा स्वंय हटवाया जा सकेगा, तथा ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिये जो व्यय होगा उसे भी भवन स्वामी से ही वसूल किया जा सकेगा और नगर पालिका अधिनियम के अर्न्तगत् दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत् चालानी कार्यवाही भी ऐसे भवन स्वामी के विरूद्ध की जा सकेगी।

11–यदि 200 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भू-खण्ड वाले भवन के लिये मानचित्र स्वीकृत कराने का आवेदन प्रस्तुत करते समय यदि मानचित्र जल संचयिन (water harvesting) प्रणाली लगाने का प्रावधान मानचित्र में होता है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी परन्तु यदि भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात निरीक्षण में यदि मानचित्र के अनुसार जल संचयिन (water harvesting) प्रणाली भवन में लगी नही पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में मानचित्र स्वीकृत करने के शुल्क के 5 गुने के बराबर धनराशि भवन स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

12–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा–

13–मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा किये जायेगें।

14–जमा किये जाने वाले मानचित्रों में ''की प्लान'' साईट प्लान'' तलपट मानचित्र और सर्विसेज प्लान भी शामिल होगें।

15–समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञाप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होगें।

16–पंजीकृत बैनामे की छायाप्रति।

17–आधार कार्ड की छाया प्रति।

18–आवेदक/आवेदिका के फोटो।

19–शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटो ग्राफ।

भू-गेह (बेसमेन्ट)–

20–बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नही लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोईघर का निर्माण अनुमन्य नही होगा।

21–आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।

22–बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चत करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यून्तम 6 फुट छोडने के बाद ही अनुमन्य होगा।

बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

(क) घेरलू सामान, अज्वलनशील पद्वार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोशकक्ष, बैक सेलर आदि।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सूरक्षा के लिए लगाई जायें।

(घ) पार्किग स्थल और गैराज।

(ड) पुस्कालयों के अज्जवलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।

23–बेसमेन्ट का प्रयोग भाग, फर्श से बीम तक न्यून्तम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।

24–बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चत किया जायेगा।

25–बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्युनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।

26–सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

अपराधों का शमन उपविधि

27–मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेगे ''फ्रंन्ट'' साईड'' एवं पीछे के सैट बैक में अनाधिकृत निर्माण आमनीय होगा।

28–शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।

29–रुपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

30–रुपये 10.00 प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

31–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

फरखन्दा जबी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर,
जनपद मुरादाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत बहसूमा, (मेरठ)

30 सितम्बर, 2023 ई0

नगर पंचायत बहसूमा लाईसेन्स शुल्क/विविध कर एवं अन्य उपविधि नियमावली 2023

सं0 332/न0पं0ब0/उपविधि/2021–22–उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बहसूमा, मेरठ के द्वारा सीमान्तर्गत निवासियों के स्वास्थय सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्वि या उनके अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2023

प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली को धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव उपरोक्त नियमावली के प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद किसी आपत्ति एंव सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा नगर पंचायत बहसूमा द्वारा उक्त विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली के प्रकाशन के उपरान्त जो भी आपत्तियां एंव सुझाव प्राप्त होंगे उन आपत्तियों एंव सुझावों पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त नियमानुसार उन आपत्तियों का निस्तारण करने के अन्तिम रूप प्रदान करने के पश्चात् उक्त ''विविधकर (शुल्क) उपविधि'' कहलायेगी। यदि पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई भी उपविधि लागू है तो उसे निरस्त समझा जाये। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। उक्त नियमावली को आपत्तियों सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार–पत्र दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को सूचना प्रकाशन कराया गया था, जिसकी अवधि30 दिन निर्धारित की गई थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त नही हुआ। तदोपरान्त नगर पंचायत बहसूमा (मेरठ) के बोर्ड की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2023 का पारित प्रस्ताव द्वारा उपविधि को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

''विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2023

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, बहसूमा मेरठ में यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2023 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1–विविधकर शुल्क की दरें–

(1) नकल शुल्क तत्काल बनवाये जाने पर रु0 200.00 प्रति नकल, सामान्य नकल रु0 100.00 प्रति नकल।

(2) अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 200.00 प्रति प्रमाण-पत्र।

(3) अन्य प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रमाण-पत्र।

(4) रिकार्ड मुआयना शुल्क रु0 100.00 प्रति प्रकरण।

(5) सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने पर दण्ड शुल्क रु0 200.00।

(6) सार्वजनिक जगह पर गन्दगी फैलाने की पुनरावृत्ति करने पर दण्ड शुल्क रु0 500.00 ।

(7) सडक किनारे मलवा डालने जैसे–निर्माण समग्री, सडक भाग फुटपाथ नाली के ऊपर अतिक्रमण करने पर दण्ड शुल्क रु0 500.00, प्रति करण पुनरावृत्ति करने पर रु0 1,000.00 ।

(8) 50 माईक्रॉन से कम पॉलीथीन का प्रयोग करने पर दण्ड शुल्क रु0 100.00, पुनरावृत्ति करने पर पैनाल्टी (दण्ड शुल्क) रु0 500.00 रूपया।

(9) वाटर टैंकर पंचायत सीमान्तर्गत (व्यक्तिगत घरेलू उपयोग हेतु) शुल्क रु0 400.00 प्रति टैंकर।

(10) वाटर टैंकर उपयोग (पंचायत सीमान्तर्गत) व्यावसायिक कार्य हेतु शुल्क रु0 800.00 प्रति टैंकर।

(11) किसी जे0सी0बी0 मशीन किराये पर उपयोग हेतु पंचायत सीमान्तर्गत शुल्क रु0 700.00 प्रति घण्टा छोटी।

(12) सीवर टैंक की सफाई हेतु सीवर सेक्शन मशीन पंचायत सीमान्तर्गत शुल्क रु0 1,500/ प्रथम चक्कर, पुनः उपयोग हेतु शुल्क रु0 1,200/प्रति चक्कर।

(13) निकाय सीमान्तर्गत डोर टू डोर कूडा कलैक्शन नगर पंचायत बहसूमा द्वारा अनुबन्धित संस्था को देने पर यूजर चार्ज के रूप में आवासीय प्रत्येक घर से शुल्क रु0 30.00 प्रति माह, गेस्ट हाऊस/बारात घर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति माह बुकिंग होगा।

(14) सभी प्रकार के घरेलू पालतू जानवर खुला छोडने अथवा पकडे जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति दिन। दुबारा पकडे जाने पर शुल्क रु0 1,000 जमा करना होगा।

(15) नगर पंचायत की सीमा स्थित मकान में निजी समरसेबिल पम्प लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु शुल्क रु0 2,000 व्यावसायिक भवन में शुल्क रु0 5,000.00।

2–नामान्तरण शुल्क–

1–विरासत/रजिस्टर्ड वसीयत/न्यायालय निर्णय/रजिस्टर्ड दान-पत्र के आधार पर नामान्तरण शुल्क रु0 1,000 यदि समाचार पत्र में प्रकाशन व्यय भवन दाता द्वारा गहन किया जायेगा।

(1) रु0 01 से रु0 99.999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–	रु0 1,000.00
(2) रु0 1,00,000 से रु0 2,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क	रु0 2,000.00
(3) रु0 3,00,000 से रु0 5,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क	रु0 3,000.00
(4) रु0 6,00,000 से रु0 14,99,999 बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क	रु0 5,000.00
(5) रु0 15,00,000 से अधिक बाजारू मालियत बैनामा नामान्तरण शुल्क–	रु0 8,000.00

नगर पंचायत बहसूमा की अपनी सम्पत्ति/जायजाद/दुकानों के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क देय होगा।

3–विज्ञापन पर कर–

सचिव उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 618/नौ–9–2013–27ज/2011, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

(क) विज्ञापन एंव विज्ञापन पट के लिए ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेगे जो प्रत्येक स्थिति में निरापद, निर्बाध, आवागमन औश्र सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपर्युक्त हो।

(ख) विज्ञापन पटों की सुदृढता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये, ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाये।

(ग) विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बांधा नही जायेगा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन के आस-पास कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार विरूपित न हो और न ही नश्ट हो।

(घ) 1–विज्ञापन शुल्क प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

2–ग्लोसाइन बोर्ड/साइन बोर्ड/विज्ञापन पट प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

3–क्यास/वाल पेन्टिंग प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

4–बैनर आदि प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

5–यूनीपोल विज्ञापन पट प्रति वर्गफुट रु0 5.00 प्रतिमाह।

6–कैनोपी (छतरी) रु0 100 प्रतिदिन।

7–गुब्बारे (एअर वैलून) रु0 100.00 प्रतिदिन।

8–वाहनों पर रु0 100.00 प्रतिदिन।

9–पोस्टर रु0 100.00 प्रति सैकडा।

10–पर्चा (हैण्ड बिल) रु0 200.00 प्रति हजार।

11–इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल माध्यम के विज्ञापन प्रति वर्गफुट रु0 10.00 प्रतिमाह।

12–अन्य प्रकार के विज्ञापन की दर ऊपर निर्धारित दरों के सापेक्ष देय होगी।

(ङ) किसी भी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भी दशा में जनहित व निकायहित के अनुकूल ही होने चाहिये और उसमे सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी प्रकार से अपशिष्ट अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक, किसी भी धर्म अथवा समुदाय की भावनाओं के प्रतिकूल एंव आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नही होने चाहियें।

5–बाहरी फेरी नीति के अन्तर्गत निर्धारित बाजार क्षेत्र में लगाई जाने वाली दुकानों से नगर नगर पंचायत बहसूमा द्वारा बाजार हेतु चिन्हित छोटी दुकानों से रु0 20.00 से 40.00 प्रतिदिन बाजार की दर से एंव बड़ी दुकानों से रु0 30.00 से 60.00 प्रतिदिन बाजार शुल्क वसूली की जायेगी तथा भविष्य में पंचायत में वेडिंग जोन/बाजार हेतु चिन्हित होने वाले स्थलों पर भी शहरी फेरी नीति के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार शुल्क की दरें प्रभावी मानी जायेगी। बाहरी फेरी नीति के अन्तर्गत चिन्हित बाजार क्षेत्र में वसूली या भविष्य में बाजार क्षेत्र हेतु चिन्हित होने वाले अन्य स्थलों पर शुल्क की वसूली सरकारी कर्मियों से सीधे कराई जायेगी या वार्षिक ठेका नीलामी/निविदा के माध्यम से की जायेगी।

6–(क) ठेकेदारी पंजीकरण जमानत धनराशि–

प्रथम श्रेणी ठेकेदार रु0 10,00,000 से अधिक हेतु शुल्क रु0 25,000।

द्वितीय श्रेणी रु0 5,00,000 से रु0 9,99,999 तक शुल्क रु0 15,000।

तृतीय श्रेणी रु0 1,00,000 से रु0 4,99,999 तक शुल्क रु0 10,000।

चतुर्थ श्रेणी रु0 1,00,000 से कम शुल्क रु0 5000।

(ख) ठेकेदारी पंजीकरण शुल्क रु0 10,000 जो ठेकेदार को कभी वापस नही होगें। प्रतिवर्ष नवीनिकरण शुल्क रु0 2500।

(ग) पंजीकरण का नवीनीकरण का वार्शिक शुल्क रु0 2500.00 जो ठेकेदार को कभी वापिस नही होगा। पंजीकरण का नवीनीकरण विलम्ब शुल्क रु0 200.00 प्रतिमाह होगा विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क दो गुना अर्थात दस हजार प्रति ठेकेदार देय होगा।

नोट–उपरोक्त नगर पंचायत बहसूमा विविधकर शुल्क उपविधि नियमावली, 2023 उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन/मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी। इस उपविधि में उल्लिखित विविधकर शुल्क की दरों में एवं पूर्व प्रकाशित नगर पंचायत बहसूमा (मेरठ) की उपविधि दरों में कोई विरोधाभास हो तो विविधकर शुल्क उपविधि 2023 में उल्लिखित दरें प्रभावी मानी जायेगी।

7–नगर पंचायत बहसूमा की सम्पत्ति पर बने आवास/दुकान/अन्य को दी जा रही सुविधा– पथ प्रकाश, सड़क, पानी, सफाई के ऐबज में उपयोग/उपभोग शुल्क लगाने के सम्बन्ध में।

दर–साधारण दशा में लगने वाले आवास/दुकान/अन्य पर शुल्क दर का दोगुना वार्षिक वसूला जायेगा अन्यथा की स्थिति में निकाय हित उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराया जायेगा।

यह केवल नगर पंचायत द्वारा दी जा रही सुविधा के ऐवज में शुल्क वसूला जायेगा।

8–किसी सरकारी/अर्धसरकारी/अन्य किसी संस्था द्वारा नगर पंचायत बहसूमा की सीमा के अन्दर कार्य/निर्माण कार्य अन्य किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर पंचायत बहसूमा से अनुमति लेनी होगी, साथ ही उक्त विभाग/संस्था द्वारा होने वाली सम्पत्ति हानि/सड़क हानि/पाईपलाईन हानि/अन्य हानि का भुगतान नगर पंचायत बहसूमा द्वारा वसूला जायेगा।

9–नगर पंचायत सम्पत्ति खसरा नं0–273 को विशेष क्षेत्र घोषित करते हुए उक्त भूमि का (एकीकृत) विकास किया जायेगा, उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के विकास कार्य/व्यवसायिक गतिविधि से लिऐ जाने वाला शुल्क नगर पंचायत बहसूमा द्वारा समय अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

नगर पंचायत की सम्पत्ति को व्यवसाय कार्य हेतु 25–30 वर्ष किराये पर दिये जाने का अनुबन्ध का अधिकार नगर पंचायत बहसूमा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

निकाय के किराये अनुबंध के नियमों का किरायेदार द्वारा पालन करने पर उसके अनुबंध समय अवधि भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगी।

नगर पंचायत बहसूमा द्वारा किरायेदार के अनुबंध के अनुसार उनके अधिकारों का हनन होता है, तो वह कोर्ट में नगर पंचायत बहसूमा के विरूद्ध वाद दायर कर सकेगा। परन्तु किरायेदार द्वारा अनुबंध का पालन न करने पर वह किसी भी प्रकार का वाद कोर्ट में मान्य नही किया जायेगा।

सचिन कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत,
बहसूमा (मेरठ)।

लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली, 2023

सं0 332/न0पं0ब0/उपविधि/2021–22उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बहसूमा, मेरठ के द्वारा सीमान्तर्गत निवासियों के स्वास्थ सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्वि या उनके अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ और इस अधिनियम के अधीन लाईसेन्स शुल्क उपविधि नियमावली, 2023 प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली को धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव उपरोक्त नियमावली के प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद किसी आपत्ति एंव सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा नगर पंचायत बहसूमा द्वारा उक्त विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली के प्रकाशन के उपरान्त जो भी आपत्तियां एंव सुझाव प्राप्त होंगे उन आपत्तियों एवं सुझावों पर गहन विचार विमर्श करने के उपरान्त नियमानुसार उन आपत्तियों का निस्तारण करके अन्तिम रूप प्रदान करने के पश्चात् उक्त ''विविधकर (शुल्क) उपविधि'' कहलायेगी। यदि पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई भी उपविधि लागू है तो उसे निरस्त समझा जाये। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। उक्त नियमावली को आपत्तियों सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार-पत्र दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को सूचना प्रकाशन कराया गया था, जिसकी अवधि 30 दिन निर्धारित की गई थी परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ। तदोपरान्त नगर पंचायत बहसूमा (मेरठ) के बोर्ड की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2023 का पारित प्रस्ताव द्वारा उपविधि को अन्तिम रूप से अनुमोदित करते हुये सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

जब तक कोई विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पंचायत बहसूमा अधिनियम 2, 1916।

(ख) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत बहसूमा मेरठ से।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत बहसूमा के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गयी व्यवस्था से है।

(घ) यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली, 2023 नगर पंचायत बहसूमा मेरठ कहलायेगी।

(ड़) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बहसूमा मेरठ से है।

(च) ''प्रभारी अधिकारी'' का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत बहसूमा मेरठ से है।

(छ) ''अध्यक्ष/चेयरमैन'' का तात्पर्य अध्यक्ष/चेयरमैन नगर पंचायत बहसूमा मेरठ से है।

(ज) ''लाईसेंस अधिकारी/अधिशासी अधिकारी'' नगर पंचायत बहसूमा मेरठ एंव अधिकृत कर्मचारी से होगा।

1–यह लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली नगर पंचायत बहसूमा सीमान्तर्गत लागू होगें। यह नियम लाईसेंस एंव अन्य शुल्क के लिये भी लागू होंगे।

2–कोई भी दुकानदार या अन्य व्यवसायी इस नियमावली के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त किये बिना व्यवसाय नही कर सकता और उपनियम लागू होने के पूर्व से चल रहे समस्त दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रतिष्ठानों आदि को लाईसेंस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3–लाईसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक वैध होंगे। अगले वित्तीय वर्ष के लिये पुनः लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

4–वित्तीय वर्ष में ही प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसाय के लिये आवश्यक होगा कि निम्न लिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि, ट्रैड लाईसेंस शुल्क के रूप में जमा करके लाईसेंस प्राप्त कर लेवें।

5– ट्रैड लाईसेंस शुल्क प्राप्त करने के लिये अपेक्षित धनराशि प्राप्तकर्ता कार्यालय नगर पंचायत बहसूमा मेरठ में जमा कर सकता है अथवा नगर पंचायत के अधिकृत कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

6–केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य कोई विधि निहित संस्था द्वारा तालिका में वर्णित ट्रैड लाईसेंस के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस से भिन्न होगा।

7–नगर पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाईसेंस का निरीक्षण कर सकता हैं। प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिये अधिकृत होगा।

8–नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी एंव अधिकृत कर्मचारी लाईसेंस निर्गत कर सकता है।

9–जो शुल्क इस पालिका में नही है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर उसी के अनुरूप लाईसेंस शुल्क लिया जायेगा।

10–इस लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरें प्रभावी होते ही पूर्व में लागू की ई लाईसेंस शुल्क की दरें निष्प्रभावी समझी जायेगी।

11–तालिका की मदों में उल्लिखित ट्रैड लाईसेंस शुल्क न बनवाने पर अथवा निरीक्षण में पकडे जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के साथ शुल्क वसूला जायेगा। विशेष परिस्थिति में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह माफ कर सकता है।

12–लाईसेंस शुल्क उपविधि नियमावली की दरों में 05 वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी जिसमें पंचायत बोर्ड को दो तिहाई बहुमत से संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा सहमति न होने की दशा में इसका विनिश्चय मताधिकार द्वारा होगा।

नोट–प्रशासन द्वारा बन्दी दिवस को दुकान बन्द करना अनिवार्य होगा। केवल जलपान, आवश्यक सेवा की दुकाने खुली रहेगी।

सुलहनामा

यदि कोई दुकानदार नियमों के विरूद्व होटल, दुकान आदि नगर पंचायत सीमा के अन्दर रखता है तथा कानून के उल्लंघन पर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी दोशी व्यक्ति के विरूद्व कानूनी कार्यवाही जारी करता है उसी समय यदि दोषी व्यक्ति सुलहनामा के लिये प्रार्थना–पत्र दे तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी शुल्क लेकर जो रु0 1,000.00 से अधिक न होगा। लेकर सुलह कर सकता है।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बहसूमा मेरठ यह प्राविधान करती है कि इन उपनियमों के उल्लंधन करने पर सम्बनिधत व्यक्तियों के दोष सिद्व होने पर न्यायालय द्वारा रु0 1,000.00 का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है। प्रथम दोष सिद्व होने पर यदि कोई उल्लंघन जारी रखता है तो प्रतिदिन के लिये जिनमें अपराध प्रमाणित हो तो रु0 25.00 प्रतिदिन दण्ड लिया जा सकेगा। अर्थदण्ड की धनराशि न भुगतान करने पर कारावास से दण्डित होगा, जो 6 माह तक हो सकता है।

ट्रैड लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नवत् है–

क्र0सं0	मद का नाम	दर वार्षिक
1	2	3
	होटल रेस्टोरेन्ट	
		रु0
1	होटल लॉजिंग हाउस तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक/होटल ढाबा	3,000.00
2	तीन सितारा होटल	5,000.00
3	पांच सितारा होटल	8,000.00
	नर्सिंग होम	
4	स्रकारी अस्पताल/निजि अस्पताल/नर्सिंग होम (20 बेड तक)	1,000.00
5	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर 50 प्रति बेड)	50 (प्रति बेड) 1 माह
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	5,000.00
7	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	10,000.00
8	प्राईवेट अस्पताल	15,000.00
9	पैथालॉजी सेंटर	1,500.00
10	एक्सरे क्लीनिक	1,500.00
11	डेन्टल क्लीनिक	1,000.00–3,000.00
12	प्राईवेट क्लीनिक	1,000.00–3,000.00
	परिवहन	
13	आटो रिक्शा 02 सीट	250.00
14	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	250.00
15	आटो रिक्शा 4 सीटर	150.00
16	मिनी बस	500.00
17	बस	600.00
18	तांगा	250.00
19	रिक्शा किराये पर	250.00
20	रिक्शा निजी चलित	250.00
21	ठेला/ठेली	250.00
22	हाथ ठेला	250.00
23	बैलगाड़ी/भैसा गाड़ी	250.00

1	2	3
		रु0
24	ट्राली	250.00
25	अन्य चार पहियों के वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	1,000.00
26	धुलाई गृह (लाण्ड्र)	250.00
27	ड्राई क्लीनर	500.00
28	फाईनेन्स कम्पनी, चिट फंड	2,000.00
29	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	2,500.00
30	फाउन्डिंग, इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल	500.00
31	पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	100.00 (प्रति पशु)
32	हड्डी खाल गोदाम	700.00
33	बार/बियर/कैन्टीन प्रति दुकान	5,000.00
34	आइस फैक्ट्री	1,000.00
35	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2,500.00
36	देशी शराब (प्रति दुकान)	5,000.00
37	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	7,000.00
38	भैसा मांस की दुकान	5,000.00—10,000.00
39	बकरा/मुर्गा मांस की दुकान (शराब व मांस की दुकान मैन रोड/धार्मिक स्थल से 300मी0 की दूरी पर)	5,000.00—10,000.00
	पशु पालन	
40	प्रति पशु	10.00
41	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
42	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरा आदि)	50.00
43	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े, बकरा आदि)	100.00
44	स्कूटर मोटर साईकिल रिपेयर सेन्टर	500.00
45	स्कूटर, तीन पहिया रिपेयरिंग शॉप	500.00
46	साईकिल पार्टस व साईकिल विक्रेता	2,000.00
47	साईकिल मरम्मत की दुकान	250.00
48	आटा चक्की, स्पेलर, धान मशीन आदि	2,000.00
49	गन्ना, कोल्हू आरा मशीन, धर्मकाटा	3,000.00
	पेट्रोलियम	
50	दुकान तेल मिटटी 100 गैलेन तक	50.00
51	दुकान तेल मिटटी 500 गैलेन तक	250.00
52	पेट्रोल पम्प, डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	2,500.00
53	पानी सप्लाई आर0ओ0 केन्द्र	3,000.00
54	जनरेटर डीजल प्रति नग	500.00

1	2	3
		रु0
55	दुकान अन्य पेट्रोल उत्पाद	500.00
56	गोदाम कबाड़/गूदड़ आदि प्रति0 गौदाम/अन्य व्यवसायिक	3,000.00
57	कोयला भटटी	500.00
58	जूता बनाने का कारखाना छोटा	500.00
59	जूता बनाने का कारखाना बड़ा	1,000.00
60	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, टाइल, मारबल, ईटा, बालू, हार्डवेयर, सेनेटरी फुटकर	5,000.00
61	बिजली का सामान थोक विक्रेता	2,500.00
62	बिजली का सामान फुटकर विक्रेता	1,000.00
63	कपड़ा व्यापारी थोक विक्रेता	5,000.00
64	कपड़ा व्यापारी फुटकर विक्रेता	2,500.00
65	बेकरी भटटी	700.00
66	बेकरी पावर	1,000.00
67	हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक कारीगर)	250.00
68	हेयर कटिंग सैलून छोटा (एक से अधिक कारीगर)	500.00
69	कुकिंग गैस सिलेण्डर फिलिंग फुटकर विक्रेता	500.00
70	जनरल मर्चेन्ट थोक	1,000.00
71	जनरल मर्चेन्ट फुटकर	500.00
72	टेलरिंग हाउस (01 से 05 कर्मचारी तक)	500.00
73	टेलरिंग हाउस (05 कर्मचारी से अधिक)	100.00 (प्रति कर्मचारी)
74	कोयला थोक विक्रेता	500.00
75	कोयला फुटकर विक्रेता	250.00
76	पेन्ट की दुकान	500.00
77	ज्वैलर्स बड़े (पांच लाख से अधिक के टर्नओवर)	10,000.00
78	ज्वैलर्स बड़े (एक लाख से पांच लाख टर्नओवर)	5,000.00
79	डेयरी फार्म	1,000.00
80	भूसा थोक विक्रेता	500.00
81	भूसा फुटकर विक्रेता	250.00
82	वी0डी0ओ0 लाईब्रेरी	500.00
83	केबिल टी0बी0	1,000.00
84	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, फुटकर विक्रेता	1,500.00
85	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, थोक विक्रेता	5,000.00
86	टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया से अधिक लागत)	5000.00
87	टेन्ट हाउस बड़ा (एक लाख रुपया लागत तक)	2500.00

1	2	3
		रु0
88	पान की दुकान खोखा	100.00
89	चाय की दुकान पक्की	100.00
90	चाय की दुकान खोखा	50.00
91	मीठा, चाय, की दुकान पक्की बड़ी	2,500.00—5,000.00
92	किताबों के थोक विक्रेता	2,500.00
93	किताबों के फुटकर विक्रेता	1,000.00
94	लकड़ी के टाल थोक विक्रेता	1,000.00
95	लकड़ी के फुटकर विक्रेता	500.00
96	रेडियो मैकेनिक	500.00
97	टी0वी0इलक्ट्रानिक की दुकान	500.00
98	मिठाई की दुकान	2,500.00
99	सब्जी/फल विक्रेता	750.00
100	मसाले फुटकर विक्रेता	250.00
101	मसाले थोक विक्रेता	1,000.00
102	फर्नीचर मरममत कर्ता	500.00
103	फर्नीचर विक्रेता	2,000.00
104	क्राकरी फुटकर विक्रता	500.00
105	क्राकारी थोक विक्रेता	1,000.00
106	लाउडस्पीकर किराये पर (पांच सेट तक)	250.00
107	लाउडस्पीकर किराये पर (पांच सेट से अधिक)	50.00 (प्रति लाउड स्पीकर)
108	खराद मशीन लकडी	2,000.00
109	आभूषण मरम्मत कर्ता	1,000.00
110	जूता,चप्पल मरम्मतकर्ता	50.00
111	सब स्टेशन (प्रति वर्गमीटर)	1,500.00
112	प्रिटिंग प्रेस	500.00
113	ब्यूटी पार्लर	500.00
114	मोबाईल की दुकान	1,000.00
115	मोबाईल मरम्मत की दुकान	500.00
116	आटो पार्टस	2,500.00
117	फोटो कापी स्टेट	50.00
118	फोटो स्टूडियों	250.00
119	वाहन एजेन्सी दो पहिया	2,500.00
120	वाहन एजेन्सी चार पहिया	5,000.00
121	ट्रक वाहन	500.00

1	2	3
		रु0
122	वाहन से प्रचार का लाइसेन्स शुल्क	100.00
123	पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम)	5,000.00
124	कोचिंग सेन्टर (हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट तक)	1,500.00
125	कोचिंग सेन्टर (प्रतियोगी परीक्षा)	2,500.00
126	विवाह घर	25,000.00
127	मोबाईल टावर (प्रति टावर)	25,000.00
128	वाहन धुलाई	1,000.00
129	वाहन मैकनिक	2,000.00
130	वैल्डिंग कार्य	2,000.00
131	वाई0फाई0/दूर संचार हेतु विधुत तार खम्बे व जमीन के अन्दर कार्य (सड़क सुधार व अन्य खर्च अलग से)	10,000.00
132	सब्जी/आढ़त ठेका	10,000.00
133	मेडिकल स्टोर	2,000.00
134	गन्ना क्रय केन्द्र	10,000.00
135	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	1,000.00
136	चार्जिंग पाईन्ट/पेट्रोल पम्प/गैस गोदाम/डीजल पम्प/सी0एन0जी0	10,000.00–20,000.00
136	प्लाट/उत्पादन केन्द्र/रसायनिक पदार्थ बनाने वाले प्लाट/अन्य व्यवसायिक	15 वर्ग मीटर
137	टाईल फैक्ट्री/ईट भटटे/अन्य अन्य निर्माण पानी सप्लाई केन्द्र	15 वर्ग मीटर
138	बैंक	10,000.00–20,000.00
139	बिजली घर/पशु अस्पताल/थाना/डाक खाना/टेलीफोन एक्सचेंज/अन्य सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालय	15.00 प्रति वर्ग मी0
	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले	
140	झोपड़ी/कच्चा मकान (छत व दीवारे कच्ची होने पर 400 वर्ग मीटर तक	निःशुल्क
141	पक्का घर/प्लोट/इ0डब्ल्यू0एस0 (1BHk) 30 वर्ग मी0तक प्रतिमाह।	300.00
142	100 से 200 वर्ग मी0 भवनों पर।	500.00
143	200 वर्ग मी0 से अधिक भवनों पर।	800.00
144	दुकानों पर	1,000.00

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित केयरिंग चार्जः–

क्रं0	कृत्य	नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु0
01	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	200.00 प्रतिदिन
02	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
03	रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
04	होटल मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
05	औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,500.00 प्रतिदिन
06	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट, आईसक्रीम, गन्ने का रस एंव जूस, सब्जी एंव फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर।	500.00 प्रतिदिन
07	डेरियों मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अथवा नाला/नाली में बहाने पर	2,000.00 प्रतिदिन
08	निजी मकान दुकान इत्यादि के निर्माण मलवा, सामग्री, ई-सीमेंट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
09	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, मलवा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए निकाय की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गंदगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकटिंग करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	500.00 प्रतिदिन
11	अपने मकान/भवन का सेप्टिक टैंक न हाने/सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गदगी आप नाली/नाले बहाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
12	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर	500.00 प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर ऑयल मिटटी व पानी फैलाकर गदंगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हडिडया मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख अण्ड़ो के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गंदगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैस, बकरी, कुत्ते, भेड, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर इत्यादी पालतू जानवरो से गंदगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन
16	शादी/विवाह स्थलों का कूड़ा सार्वजनिक स्थल पर डालने पर	2,000.00 प्रतिदिन
17	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जिां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	200.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
18	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गंदगी, बाल इत्यादि डालने पर	200.00 प्रतिदिन
19	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता सड़क, अथवा दुकानों के सामने की खुली जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है।	1,500.00 प्रतिदिन
20	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा, चलाकर गंदगी फैलाने पर	1,000–2,000.00 प्रतिदिन
21	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तो, सड़क फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	2,500.00 प्रतिदिन
22	विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ज़ोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	3,500.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वॉशिग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	2,000.00 प्रतिदिन
24	खुले में शौच करने पर व सड़क के किनारे शौच करने पर	200.00 प्रतिदिन
25	व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर	पहली बार रु0 100.00 प्रतिदिन एंव दोबारा पाये जाने पर रु0 500.00 प्रतिदिन
26	खुले में व सड़क के किनारे पेशाब करने पर	100.00 प्रतिदिन
27	सड़क पटरी सार्वजनिक भूमि पर जनरेटर रख अतिक्रमण करने पर	100.00 प्रतिदिन
	(अ) 5 के0बी0 तक	500.00–1,000.00 प्रतिदिन
	(ब) 5 के0बी0 से ऊपर	1,000.00–2,500.00 प्रतिदिन
28	मोटर गैरिज	1,000.00–2,500.00 प्रतिदिन
29	केवल वाशिंग लाईन	500.00–1,500.00 प्रतिदिन

13. उपविधियों का उल्लंघन करने पर स्थल पर जुर्माना/केयरिंग चार्ज लगाने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक 05 वर्ष में केयरिंग/यूजर का पुनरीक्षण करायेगें अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि चार्ज का पुनरीक्षण न हो सका तो 05 वर्ष में निर्धारित चार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए चार्ज वसूलना सुनिश्चित करायेगें।

सचिन कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत,
बहसूमा (मेरठ)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कोमल कांस्ट्रक्सन्स 1/76 विशाल खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0 में है। फर्म उपरोक्त में नं0 1 कीर्ति पत्नी ओम प्रकाश नं0-2 उग्रसेन सिंह पुत्र उदय भान सिंह थे। दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 को साझेदारी के अनुसार उग्रसेन सिंह पुत्र उदय भान सिंह पृथक हुए है। दिनांक 02 दिसम्बर, 2023 को फर्म रेखा देवी पत्नी राम नरेश भारती सम्मिलित हुई हैं। अब वर्तमान में मेसर्स कोमल कान्स्ट्रक्सन्स में 1-कीर्ति 2-रेखा देवी साझेदारी के रूप में है। शेष कारोबार यथावत है।

कीर्ति
साझेदार
कीर्ति, मेसर्स, कोमल कान्स्ट्रक्सन्स

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम Devendra Kumar, मेरी पत्नी का सही नाम Rekha Rani, तथा मेरे पुत्र का सही नाम Aishwar Singh है। यही नाम हम लोगों के आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा अन्य अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के दसवी बोर्ड के सह अंक प्रमाण-पत्र Roll N0-23193779/2023 में मेरा नाम Devendra Kumar Narolia मेरी पत्नी का नाम Rekha Narolia तथा मेरे पुत्र का नाम Aishwar Singh Narolia अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

Devendra Kumar,
196/13A, Laxmi Puram Colony
Jhansi (U.P.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म-मै0 तिरुपति आसईंग एण्ड हालमार्किंग सेन्टर, शॉप नम्बर 1,2,3, फर्स्ट फ्लोर, प्रेमशंकर गुड्डू मार्केट, 214 आलमगिरीगंज, बरेली उ0प्र0 पिनकोड 243001 (पंजीकरण संख्या :BAR/0002132) फर्म में 2 साझेदार-राकेश कुमार रस्तोगी, श्रीमती वाणी गुप्ता थे। दिनांक 05 अगस्त, 2023 को साझेदारों की रजामन्दी से एक साझेदार विकास रस्तोगी को शामिल किया तथा एक साझेदार राकेश कुमार रस्तोगी दिनांक 05 अगस्त, 2023 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है, साझेदार या फर्म का कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में 2 साझेदार-विकास रस्तोगी, श्रीमती वाणी गुप्ता है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नही है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

विकास रस्तोगी,
साझेदार
मै0 तिरुपति आसईंग एण्ड हालमार्किंग सेन्टर,
बरेली उ0प्र0।

सूचना

''मै फत्ता देवी पत्नी गिरिजा शंकर त्रिपाठी निवासिनी ग्राम एवं पोस्ट नीबी कला झूँसी, प्रयागराज, सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा वास्तविक नाम फत्ता देवी है किन्तु एल0आई0सी0 की पालिसी सं0 311834415 में मेरा नाम सुशीला देवी अंकित हो गया है, जो कि घरेलू है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम फत्ता देवी है। सुशीला देवी और फत्ता देवी दोनों नाम एक ही महिला के हैं''।

फत्ता देवी।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-डी0 एन0 एसोसिएट्स, 8, सुगनामल मार्केट, 39 अमीनाबाद जिला लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में दो साझेदार क्रमशः श्री दीपक मनचन्दा पुत्र श्री मदन लाल एवं श्रीमती चंचल मनचन्दा पत्नी श्री मदन लाल मनचन्दा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 2016 से फर्म की साझेदारी में 03 नये साझेदार क्रमशः श्रीमती वन्दना मनचन्दा पुत्री श्री एच0 एल0 मल्होत्रा श्रीमती मोनिका मनचन्दा पुत्री श्री बी0एल0 कालरो एवं श्री सन्दीप मनचन्दा पुत्र श्री एम0 एल0 मनचन्दा शामिल हो गये है। वर्तमान में श्री दीपक मनचन्दा, श्रीमती चंचल मनचन्दा, श्रीमती वन्दना मनचन्दा, श्रीमती मोनिका मनचन्दा एवं श्री सन्दीप मनचन्दा साझेदार है।

दीपक मनचन्दा,
साझेदार,
डी0एन0 एसोसिएट्स,
जिला लखनऊ।

सूचना

एत्तद्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-एम0एस0 फूड प्रोडक्टस, खुटार रोड, गोला गोकरननाथ, जिला लखीमपुर खीरी की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में अभी तक तीन साझेदार क्रमशः आयुष अग्रवाल पुत्र श्री खेम चन्द अग्रवाल, श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी श्री घनश्याम दास अग्रवाल, श्री रजत अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल थे जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी श्री घनश्याम दास अग्रवाल श्री रजत अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल फर्म से रिटायर हो गये है तथा इसी तिथी से दो नये साझेदार क्रमशः श्री खेम चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 मूल चन्द अग्रवाल, श्री मुदित अग्रवाल पुत्र श्री खेम चन्द्र अग्रवाल, शामिल हो गये है। वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार क्रमशः श्री आयुष अग्रवाल, श्री खेम चन्द्र अग्रवाल एवं श्री मुदित अग्रवाल साझेदार है। जिसकी सूचना दी जा रही हैं।

आयुष अग्रवाल,
साझेदार
एम0एस0 फूड प्रोडक्टस,
जिला लखीमपुर खीरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिनी कि फर्म मैसर्स जगदम्बा फॉरवर्डिग एजेन्सी पता देवचरा बरेली उत्तर प्रदेश-243401 जिसकी पंजीकरण सं0- B-13784 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 30 जुलाई, 2020 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से दो साझेदार अमित कुमार गुप्ता व पवन कुमार चौधरी दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त /रिटायर हो रहे है तथा उनके स्थान पर एक नया साझेदार सचिन गुप्ता पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता निवासी देवचरा, बदायूँ रोड़ नियर टेलिफोन एक्सचेंज बरेली उ0प्र0 243401 दिनांक 06 नवम्बर, 2023 से स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहा है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः श्रीमती श्वेता गुप्ता व सचिन गुप्ता साझोदार है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के संशोधन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

श्वेता गुप्ता,
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माँ भगवती किसान सेवा केन्द्र पता ग्राम पुरनापुर पोस्ट बालीपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243123 जिसकी पंजीकरण सं0-BUD/0009448 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 25 अगस्त, 2023 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में एक नया साझेदार मयंक कुमार सिंह पुत्र श्री उत्तम राम सिंह पता सी-14 एकता नगर चाचा नेहरू पार्क के पास बरेली दिनांक 01 नवम्बर, 2023 को स्वेच्छा से व अन्य साझेदारों की सहमति से सम्मिलित हो गया है, उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार क्रमशः श्री प्रदीप कुमार, अवधेश कुमार, मयंक कुमार सिंह है।

अवधेश कुमार,
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पैन कार्ड और आधार कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख के अनुसार मेरा सही नाम मनीष प्रकाश पुत्र डा0 ओम प्रकाश गुप्ता है। त्रुटिवश मेरे बैंक खाते संख्या 1437399102 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिविल लाइन प्रयागराज में मनीष गुप्ता अंकित हो गया है। मेरा सही नाम मनीष प्रकाश है। मुझे मनीष प्रकाश के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

मनीष प्रकाश,
पुत्र–डा0 ओमप्रकाश गुप्ता,
R/o. 17/19 कस्तुरबा गांधी मार्ग,
प्रयागराज–211002

NOTICE

My name wrongly written Devender Kumar Verma in my army service record when right name Devendra Kumar Verma S/o Hanuman Prasad Verma, Vill-Pure Rajaram, Dehli, Maharajganj, Raebareli.

Devendra Kumar Verma.

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।